कार्यालय जिलाधिकारी, मथुरा।
(आबकारी अनुभाग)

संख्या– 199 /पॉच–बी/आ0लि0/2021–22 दिनांकः 04 अगस्त, 2021

विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निरस्त चल रही देशी मदिरा की दुकान–नन्दगांव रोड एवं बीयर की दुकान–नन्दगांव का पुर्नव्यवस्थापन वर्ष 2021–22 की शेष अवधि के लिए देशी मदिरा की दुकान हेतु निर्धारित वार्षिक एम0जी0क्यू0–8124 ब0ली0 व बेसिक लाइसेंस फीस–2,88,402 रू0 एवं बीयर की दुकान हेतु निर्धारित वार्षिक लाइसेंस फीस–4,00,000 रू0 (एम0जी0क्यू0 व बेसिक लाइसेंस फीस तथा लाइसेंस फीस समानुपातिक आधार पर आगणित की जायेगी) पर ई–टेण्डर/आफर मांगकर ऑनलाइन ई–टेण्डर के माध्यम से नियमावली में निर्दिष्ट शर्तों एवं प्राविधानानुसार किया जाना है। ऑनलाइन पोर्टल पर दिनांक 05.08.2021 को प्रातः 11.00 बजे से दिनांक 11.08.2021 को प्रातः 11.00 बजे तक आवेदन किये जा सकते हैं। आवेदक के पास वैध डी. एस.सी. होनी चाहिए। आवेदक प्रोसेसिंग फीस तथा आवेदन पत्र में दर्शाये गये सभी प्रपत्र टैक्नीकल बिड के साथ अपलोड करेंगे। आवेदन करने के पश्चात् धरोहर धनराशि के डी0डी0 तथा प्रोसेसिंग फीस (रू0 20,000) ऑनलाइन जमा की रसीद की मूल प्रति कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, मथुरा में दिनांक 11.08.2021 को अपरान्ह 02.00 बजे तक जमा कराना अनिवार्य है। प्री बिड मीटिंग दिनांक 08.08.2021 को प्रातः 11.00 बजे आयोजित की जायेगी। टैक्नीकल बिड दिनांक 12.08.2021 को प्रातः 11.00 बजे व फाइनेन्सियल बिड अपरान्ह 1.30 बजे कलेक्ट्रेट स्थित एन0आई0सी0 में खोली जायेगी। दो या दो से अधिक समान ऑफर/टेण्डर प्राप्त होने पर आवंटन मैनुअल लाटरी के माध्यम से दिनांक 12.08.2021 को ही अपरान्ह 01.30 बजे किया जायेगा, जिसका विवरण वेबसाइट www.etender.up.nic.in पर उपलब्ध है।

इस सम्बन्ध में अन्य विस्तृत जानकारी कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, मथुरा एवं क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षकों से प्राप्त की जा सकती है।

(नवनीत सिंह चहल)
जिलाधिकारी/लाइसेंस प्राधिकारी,
मथुरा।

जिला आबकारी अधिकारी,
मथुरा।

संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपिः–

1–आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को अवलोकनार्थ प्रेषित।

2–सहायक निदेशक सूचना, मथुरा को राजस्व हित में स्थानीय समाचार–पत्रों में निःशुल्क प्रकाशनार्थ।

3–जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मथुरा को ई–टेण्डर की प्रकिया में सहयोग प्रदान करने एवं जनपद की वेबसाइट पर उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन करने हेतु।

4–आबकारी निरीक्षक, क्षेत्र–1, 2, 3, 4 व 5, जनपद–मथुरा को व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु।

5–सम्पादक, दैनिक समाचार पत्र–दैनिक जागरण/अमर उजाला को इस आशय से प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को अपने समाचार पत्र के स्थानीय संस्करण के अग्रिम अंक में न्यूनतम स्पेस पर प्रकाशित कराकर बिल जिला सूचना अधिकारी, मथुरा से सत्यापित कराकर कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, मथुरा में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

4/8/21
(नवनीत सिंह चहल)
जिलाधिकारी/लाइसेंस प्राधिकारी,
मथुरा।

जिला आबकारी अधिकारी,
मथुरा।

प्रारूप–1

आवेदन पत्र का प्रारूप

दुकान का प्रकार	दुकान का नाम

आबकारी वर्ष 2021–22 (दिनांक 13–08–2021 से 31–03–2022 तक)

देशी शराब/विदेशी मदिरा/बीयर/भांग व मॉडलशाप्स की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापन हेतु आवेदन पत्र।

निम्न विवरण आवेदक द्वारा स्वयं भरे जायेगें:–

आवेदक का नवीनतम स्वप्रमाणित फोटो

1– आवेदक का नाम.......................................

2– पिता/पति का नाम.......................................

3– आयु.......................................

4– जन्म तिथि: दिवस/माह/वर्ष................./................/........

5– लिंग–पुरूष/महिला.......................................

6–स्थायी पता.......................................

मकान नम्बर.......................................

नगर/मोहल्ला/ग्राम.......................................

थाना.......................................

तहसील.......................................

जिला.......................................राज्य.......................................

दूरभाष(लैन्ड लाइन नम्बर)

7– पैन नम्बर.......................................

8– आधार नम्बर.......................................

9– हैसियत/आयकर वैल्यूवर द्वारा निर्गत सम्पत्ति प्रमाण पत्र का मूल्य(रू0 में).......................................

10– आवेदक के पक्ष में पूर्व में जनपद/प्रदेश में व्यवस्थित दुकानों का विवरण

(1).......................................

(2).......................................

11– आवेदित दुकान का विवरण.......................................जनपद.......................................

(1)दुकान का नाम.......................................

(2)दुकान का प्रकार.......................................

12– जमा धनराशि का विवरण:–

(अ)प्रोसेसिंग फीस का चालान संख्या व दिनांक.......................................

(ब)बैंक का नाम व शाखा.......................................

(ग)भुगतान की राशि.......................................

12(2) जमा धरोहर राशि के ड्राफ्ट का विवरण:–

(अ)बैंक ड्राफ्ट संख्या व दिनांक.......................................

कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी मथुरा

(ब)बैंक का नाम व शाखा..

(स)बैंक ड्राफ्ट की राशि– नही भरनी है।

13–तकनीकी बिड में अभिलेखों को अपलोड करने हेतु चैक लिस्टः–

क0सं0	अभिलेख	अपलोड है या नही
1	आवेदन पत्र की स्कैन कापी	
2	शपथ पत्र की स्कैन कापी(17–बिन्दु)	
3	पेन कार्ड की स्कैन कापी	
4	आधार कार्ड की स्कैन कापी	
5	हैसियत प्रमाण पत्र/आयकर बैल्यूअर द्वारा निर्गत सम्पत्ति प्रमाण पत्र की स्कैन कापी	

नोटः–उपरोक्त चैक लिस्ट के क्रम संख्या–1, 2, 3, 4, एवं 5 के अभिलेख आवेदक द्वारा अपलोड किये जायेंगें।

आवेदक की घोषण

मैं..पुत्र/पत्नी/पुत्री..घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त बिन्दु 1 से 13 में दिया गया विवरण मेरे जानकारी में पूर्णतः सही है। यदि उपरोक्त विवरण असत्य या गलत पाया जाये तो मेरा प्रार्थना पत्र निरस्त करने व धरोहर धनराशि जब्त करने मे मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। यदि उपरोक्त विवरण अनुज्ञापन जारी करने के उपरान्त असत्य या गलत पाया जाता है तो मेरा अनुज्ञापन निरस्त करने योग्य होगा और साथ ही मेरी लाइसेंस फीस एवं प्रतिभूति की धनराशि भी जब्त करने योग्य होगी। मैं इस तथ्य से भिज्ञ हूँ कि असत्य या गलत विवरण देना दण्डनीय अपराध है। मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि दुकान आवंटन के बाद नियत समय के भीतर निर्धारित हैसियत प्रमाण पत्र/आयकर वैल्यूअर द्वारा निर्गत सम्पत्ति प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, मूल/अस्थाई निवास प्रमाण पत्र एवं पैन कार्ड व आधार कार्ड की स्व प्रमाणित छायाप्रति जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय में जमा कर दूँगा/दूँगी। यदि वॉछित प्रमाण पत्र जमा न करने की स्थिति में अनुज्ञापन को मेरे जोखिम पर निरस्त किया जाता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

स्थान....................................

दिनांक..................................

आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान(सतिथि)–

आवेदक का नाम बडे अक्षरों में–

नोटः–अहस्ताक्षरित अथवा अंगूठे का निशान न होने पर आवेदन मान्य नहीं होगा।

कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी मथुरा

देशी शराब फुटकर दुकान /विदेशी मदिरा फुटकर दुकान /बीयर फुटकर दुकान /माडल शाप/भांग फुटकर दुकान के लाइसेंस हेतु आवेदन पत्र के साथ अपलोड किये जाने वाले शपथ पत्र का प्रारूप (वर्ष 2021-22 हेतु)

(प्रत्येक आवेदित दुकान हेतु अलग-अलग शपथ पत्र अपलोड किये जायेंगे। जो शब्द लागू न हों काट दिये जांये)

मैं.......................................पुत्र/पुत्री/पत्नी.................................आयु................वर्ष

निवासी.. शपथपूर्वक अभिकथन करता/करती हूँ कि -

1- यह कि शपथकर्ता/शपथकर्त्री ने देशी शराब फुटकर दुकान /विदेशी मदिरा फुटकर दुकान /बीयर फुटकर दुकान /माडल शाप/भांग फुटकर दुकान..............................थाना........................ तहसील...............जनपद...................... के लाइसेंस हेतु आनलाइन आवेदन किया है।

2- यह कि शपथकर्ता/शपथकर्त्री के नाम से प्रदेश में देशी शराब फुटकर दुकान /विदेशी मदिरा फुटकर दुकान /बीयर फुटकर दुकान और माडल शाप को मिलाकर दो या दो से अधिक दुकानें आवंटित नहीं है तथा भांग की दो या दो से अधिक दुकानें आवंटित नहीं हैं।

3- यह कि शपथकर्ता/शपथकर्त्री ने लाइसेंस की शर्तों और प्रतिबन्धों को पूरी तरह से समझ लिया है। यदि उपरोक्त दुकान उसे आवंटित हो जाती है तो वह नियमों, लाइसेंस की शर्तों और लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर दिये जाने वाले अन्य निर्देशों का पालन करेगा/करेगी।

4- यह कि शपथकर्ता/शपथकर्त्री भारत का नागरिक है।

5- यह कि शपथकर्ता/शपथकर्त्री की आयु 21 वर्ष से अधिक है।

6- यह कि शपथकर्ता/शपथकर्त्री के पास समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश आबकारी दुकानों की संख्या एवं स्थिति नियमावली 1968(यथा संशोधित) के उपबंधों के अनुसार उक्त स्थान पर दुकान खोलने हेतु उपयुक्त परिसर है अथवा उसने किराये पर उक्त स्थान पर उपयुक्त परिसर का प्रबंध कर लिया है।

7- यह कि शपथकर्ता/शपथकर्त्री द्वारा दुकान के ऐसे परिसर का प्रस्ताव नहीं दिया जायेगा जिसके निर्माण में किसी विधि अथवा नियमों का उल्लंघन किया गया हो।

8- यह कि शपथकर्ता/शपथकर्त्री एवं उनके परिवार के सदस्यों का नैतिक चरित्र अच्छा है और उनकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है और उन्हें संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 या स्वापक औषधि एवं मन: प्रभावी अधिनियम, 1985 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध या किसी अन्य संज्ञेय एवं गैर जमानती अपराध के लिये दोष सिद्ध नहीं किया गया है।

9- यह कि अनुज्ञापी/अनुज्ञापिनी के रूप में चयनित हो जाने की दशा में उसके द्वारा जिला जहाँ का/की वह निवासी है, के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक /पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण-पत्र, लाइसेंस जारी होने के पूर्व प्रस्तुत किया जायेगा कि उसका एवं उसके परिवार के सदस्यों का नैतिक चरित्र अच्छा है एवं उनकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि या आपराधिक इतिहास नहीं है।

10- यह कि शपथकर्ता/शपथकर्त्री किसी ऐसे व्यक्ति को विक्रेता या प्रतिनिधि के रूप में नियोजित नहीं करेगा/करेगी, जिसकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होगी, या जो किसी संक्रामक रोग से ग्रसित हो या 21 वर्ष से कम आयु का हो या महिला हो।

कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी
मथुरा

11- यह कि शपथकर्ता/शपथकर्त्री न तो सरकारी अथवा लोक देयों का/की बकायेदार है, न ही उसका नाम काली सूची में है और न ही उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम-1910 के अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अन्तर्गत उसे आबकारी लाइसेंस धारण करने से विवर्जित किया गया है।

12- यह कि शपथकर्ता/शपथकर्त्री ऋणशोधक्षम है और आवश्यक निधि रखता/रखती है या कारोबार के संचालन के लिये आवश्यक निधि का प्रबन्ध कर लिया है जिसका ब्योरा यदि अपेक्षित होगा, तो लाइसेंस प्राधिकारी को वह उपलब्ध करा देगा/देगी।

13- यह कि शपथकर्ता/शपथकर्त्री सक्रिय रूप से मफिया गतिविधियों, असामाजिक गतिविधियों एवं संगठित आपराधिक गतिविधियों में लिप्त नहीं है। यदि अनुज्ञापन प्राप्त हो जाने के उपरान्त भी यह प्रमाणित हो जाता है कि वह सक्रिय रूप से माफिया गतिविधियों, असामाजिक गतिविधियों एवं संगठित आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है तो उसका अनुज्ञापन निरस्त कर दिया जाये।

14- यह कि शपथकर्ता/शपथकर्त्री बार काउंसिल में पंजीकृत अधिवक्ता नहीं है। यदि अनुज्ञापन प्राप्त कर लेने पर उसे बार काउंसिल में पंजीकृत अधिवक्ता पाया जाता है तो शपथकर्ता/शपथकर्त्री का अनुज्ञापन निरस्त कर दिया जाये।

15- यह कि शपथकर्ता/शपथकर्त्री सक्षम अधिकारी द्वारा जारी हैसियत प्रमाण पत्र/अधिकृत आयकर वैलुअर द्वारा निर्गत धारित संपत्ति प्रमाण पत्र का धारक है तथा उसकी हैसियत आवेदित दुकान का अनुज्ञापन धारण करने हेतु पर्याप्त है।

16- यह कि वह पैन कार्ड एवं आधार कार्ड का धारक है तथा उसके द्वारा विगत वर्ष की आयकर विवरणी अपलोड की गयी है।

17- यह कि शपथकर्ता/शपथकर्त्री द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचनाएं उसकी जानकारी में सही एवं सत्य हैं। कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है। शपथकर्ता/शपथकर्त्री द्वारा लाइसेंस की शर्तों, प्रतिबन्धों एवं संगत व्यवस्थापन नियमावली तथा आबकारी नीति वर्ष 2021-22 को पूरी तरह समझ लिया गया है। यदि शपथकर्ता का आवेदन/आवंटन/अनुज्ञापन सूचनाओं के अपूर्ण रहने अथवा शर्तों, प्रतिबन्धों एवं संगत व्यवस्थापन नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों का अनुपालन न किये जाने के कारण निरस्त किया जाता है तो उसे कोई आपत्ति नहीं होगी तथा शपथकर्ता इसके लिए कोई दावा नहीं करेगा।

(आवेदक के हस्ताक्षर)

नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित।

कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी
मथुरा